SCAT NEWS
स्कैट समाचार

The Latest Update on Whats Happening Around Us In The World Of Satellite & Cable TV

सैटेलाइट और केबल टीवी की दुनिया में हमारे चारों तरफ क्या हो रहा उसका नवीनतम अपडेट

ZEE CLAIMS REFUND FROM STAR TV

Zee has asked for Rs 69 crore in refund from Star after the TV rights deal for ICC failed.

Zee communicated to Star India Pvt Ltd that it cannot proceed with the ICC TV rights agreement alleging that Star has breached the agreement and is in default of the terms.

In its financial statement for the third quarter of FY24, ZEEL said that it has also sought a refund of Rs 68.54 crore paid to Star.

जी ने स्टार टीवी से रिफंड का दावा किया

आईसीसी के लिए टीवी अधिकार सौदे के असफल होने के बाद जी ने स्टार से 69 करोड़ रुपये रिफंड मांगे हैं।

जी ने स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सूचित किया है कि वह आईसीसी टीवी समझौते पर आगे आगे नहीं बढ़ सकता है और आरोप लगाया है कि स्टार ने समझौते का उल्लंघन किया है और शर्तो का भी उल्लंघन किया है।

वित्तवर्ष 24 की तीसरी तिमाही के अपने वित्तीय विवरण में जेडईईएल ने कहा है कि उसने स्टार को भुगतान किये गये 68.54 करोड़ रुपये का रिफंड भी मांगा है।

DEEPTI SACHDEVA STINT WITH TIMES NOW

Deepti Sachdeva who was at Republic TV has joined Times Now as Consulting Editor.

Deepti is having a second stint with Times Now, as she was associated with Times Now and earlier stints at NDTV and Zee News.

टाइम्स नाउ के साथ जुड़ीं दीप्ति सचदेवा

दीप्ति सचदेवा, जो रिपब्लिक टीवी में थी, टाइम्स नाउ में अब कंसल्टिंग एडिटर के रूप में शामिल हो गयी हैं।

दीप्ति का टाइम्स नाउ के साथ यह दूसरा कार्यकाल है, चूंकि वे टाइम्स नाउ के साथ जुड़ी हुई थी और इससे पहले वह एनडीटीवी और जी न्यूज में भी काम कर चूंकि हैं।

MIB DIRECTIVE TO LCOS

The Govt's new directive to Local Cable Operators to submit registration and certificate details for assignment of National Registration Number.

LCOs are granted Registration under the Section 4 of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 at the Local Head Post Office of the area of their operations. Section 3 of the Act states that no person shall operate a cable television network unless he is registered as a cable operator under the Act.

The ministry issued an advisory on January 19, to address the issue of difficulty faced by the LCOs in renewal of their registration as well as to warn the LCOs to not operate without valid registration.

Now, to further address these issues and streamline the process of registration, the LCOs are directed to furnish the details and documents within 15 days through the Broadcast Seva Portal.

MSOs and HITS operators are also to ensure that LCOs having interconnection agreements with them furnish the details within the prescribed time limit.

एलसीओ को एमआईबी का निर्देश

स्थानीय केबल ऑपरेटरों को राष्ट्रीय पंजीकरण संख्या के असाइनमेंट के लिए पंजीकरण और प्रमाणपत्र विवरण जमा करने के लिए सरकार ने नये निर्देश दिये हैं।

एलसीओ को उनके परिचालन क्षेत्र के स्थानीय प्रधान डाकघर में केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 4 के तहत पंजीकरण प्रदान किया जाता है। अधिनियम की धारा 3 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति तब तक केबल टेलीविजन नेटवर्क संचालित नहीं करेगा जब तक वह अधिनियम के तहत केबल ऑपरेटर के रूप में पंजीकृत न हो।

मंत्रालय ने एलसीओ को अपने पंजीकरण के नवीनीकरण में आने वाली कठिनाई के मुद्दे को संबोधित करने के साथ-साथ एलसीओ को वैध पंजीकरण के बिना काम न करने की चेतावनी देने के लिए 19 जनवरी को एक सलाह जारी किया। अब इन मुद्दों को आगे बढ़ाने और पंजीकरण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एलसीओ को ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल के माध्यम से 15 दिनों के भीतर विवरण और दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

एमएसओ और हिट्स ऑपरेटरों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके साथ इंटरकनेक्शन समझौते वाले एलसीओ निर्धारित समय सीमा के भीतर विवरण प्रस्तुत करें।

SCAT NEWS
स्कैट समाचार

MIB said that this Ministry shall assign a National Registration Number of each LCO on receipt of the above details and a centralised list of LCOs named "National Register of LCOs" shall also be prepared and placed in the public domain.

With effect from April 1, 2024, MSOs and HITS Operators may provide signals or enter into fresh interconnection agreement with only those LCOs whose name appear in the National Register of LCOs published by the Ministry.

DTH SUBSCRIBER LOSES

DTH subscriber base decreased by 2.02% from 65.50 million in the quarter ended June 2023 to 64.18 million in QE September 2023. According to the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI)'s Indian Telecom Services Performance Indicator Report, pay DTH attained a total active subscriber base of around 64.18 million for the quarter ended September 30, 2023. This is in addition to the subscribers of the DD Free Dish (free DTH services of Doordarshan).

NCLT NOTICE TO SONY

The National Company Law Tribunal's Mumbai bench has reportedly issued a notice on Zee's plea seeking the implementation of its merger with Sony. Culver Max (formerly Sony Pictures Network India) and Bangla Entertainment (BELP) have been notified, asking them to file a response to Zee's application.

In a statement, Sony said, "We are disappointed in the decision by the Singapore International Arbitration Centre (SIAC). This decision is only a procedural one, ruling only as to whether Zee Entertainment would be permitted to pursue its application with the NCLT."■

एमआईबी ने कहा कि यह मंत्रालय उपरोक्त विवरण प्राप्त होने पर प्रत्येक एलसीओ को एक राष्ट्रीय पंजीकरण संख्या प्रदान करेगा और 'एनसीओ का राष्ट्रीय रजिस्टर' नामक एलसीओ कीएक केंद्रीकृत सूची भी तैयार की जायेगी और सार्वजनिक डोमेन में रखी जायेगी।

1 अप्रैल **2024** से एमएसओ और हिट्स ऑपरेटर केवल उन्हीं एलसीओ के साथ सिगनल प्रदान कर सकते हैं या नये इंटरकनेक्ट समझौते में प्रवेश कर सकते हैं जिनका नाम मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एलसीओ के राष्ट्रीय रजिस्टर में दिखायी देता है।

सब्सक्राइबर खो रहा है डीटीएच

डीटीएच ग्राहकों की संख्या जून **2023** को समाप्त तिमाही में **65.50** मिलियन से **2.02%** घटकर सितंबर **2023** की तिमाही में **64.18** मिलियन रह गयी। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट के अनुसार पे डीटीएच ने **30** सितंबर **2023** को समाप्त तिमाही के लिए लगभग **64.18** मिलियन का कुल सक्रिय ग्राहक आधार प्राप्त किया। यह डीडी फ्री डिश (दूरदर्शन की मुफ्त डीटीएच सेवा) के ग्राहकों के अतिरिक्त है।

सोनी को एनसीएलटी का नोटिस

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की मुंबई पीठ ने कथित तौर पर सोनी के साथ अपने विलय को लागू करने वाली मांग वाली जी की याचिका पर एक नोटिस जारी किया है। कल्वर मैक्स (पूर्व में सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया) और बांग्ला इंटरटेनमेंट (बीईएलपी) को सूचित किया गया है कि उनसे जी के आवेदन पर प्रतिक्रिया दाखिल करने के लिए कहा गया है।

सानी ने एक बयान में कहा, 'हम सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (एसआईएसी) के फैसले से निराश हैं। यह निर्णय केवल एक प्रक्रियात्मक निर्णय है, जो केवल इस बात पर निर्णय देता है कि क्या जी इंटरटेनमेंट को एनसीएलटी के साथ अपने आवेदन को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जायेगी। ■